or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in a post carrying pay in level-5 (₹29200- 92300) in the pay matrix ; and (b) possessing the following educational qualification and experience,- (i) Bachelor Degree from any recognised University or institute; (ii) one year experience in work related to reception duty. Desirable : Certificate or Diploma course in computers of minimum one year duration from a recognised institute. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**:The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. -A.12011/02/2018-SSO-I]

SHRI PRAKASH, Jt. Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, सहायक इंजीनियर (संकर्म) और पर्यवेक्षक (सिविल), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक इंजीनियर (संकर्म) के पद से है,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिसे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि में सहायक इंजीनियर (संकर्म) समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, सहायक इंजीनियर (संकर्म) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

(2) पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(6) व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक इंजीनियर (संकर्म)	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44,900-1,42,400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**संयुक्त पद्धति द्वारा :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कृषि विश्वविधालयों या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध- सरकारी या स्वाशासी निकायों और कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रू.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से सिविल इंजिनियरी या संरचना इंजिनियरी में डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में पर्यवेक्षक (सिविल) या कनिष्ठ इंजीनियर (संकर्म) के रूप में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** – वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ऐसे विभागीय पर्यवेक्षक (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सिविल इंजिनियरी में डिप्लोमा है, को अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद समझा जायेगा।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन -V), मत्स्यपालन विभाग -सदस्य 3. उप निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन), राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि - सदस्य	पद को भरते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 2: – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** – प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 5-9/2021-प्रशा.V.]

खाम खान सुआन, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 18th August, 2021

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Assistant Engineer (Woks) and Supervisor (Civil), Group B posts, Recruitment Rules, 2011, in so far as they relates to the post of Assistant Engineer (Works), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President here by makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Woks) Group 'B' Post in the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi, under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi, Assistant Engineer (Woks) (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Officia1Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Engineer (Works)	1*(2021) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	level-7 (Rs.44,900/- Rs.1,42,400/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not applicable	Not applicable	**By Composite method:** Deputation (including short term contract) / promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(11)	(12)	(13)
Composite method : Deputation (including short term contract)/ promotion: Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Agriculture Universities or recognized research Institutes or public sector undertaking or semi-Government or autonomous bodies and statutory organisations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :-** 1. Director, National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi - Chairperson 2. Under Secretary (Administration V), Department of Fisheries - Member 3.Deputy Director (Processing and Marketing), National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

thereto on a regular basis in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department : and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in Civil Engineering or Structural Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) Two years' experience as a Supervisor (Civil) or as Junior Engineer (Works) in the Central Government or State Government or public sector undertaking. **Note 1.-** The Departmental Supervisor (Civil) in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and possessing a Diploma in Civil Engineering shall also be considered along with the outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled on promotion. **Note 2.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily not exceeding three years. **Note 4.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F.No. 5-9/2021-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.